



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.10.2026

सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान लाजवन्ती प्लाजा बिल्डिंग, सेक्टर 4 मार्केट वैशाली स्थित प्योर थेरेपी स्पा सेन्टर, आल स्पा सेन्टर व माउन्टेन स्पा सेन्टर थाना क्षेत्र कौशाम्बी से अनैतिक देह व्यापार में लिप्त 20 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मिलित 11 अभियुक्त (संचालक/मैनेजर) गिरफ्तार किए गये एवं आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।

आज दिनांक 19.10.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि लाजवन्ती प्लाजा बिल्डिंग, सेक्टर 4 मार्केट वैशाली स्थित प्योर थेरेपी स्पा सेन्टर में भोली-भाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा लाजवन्ती प्लाजा बिल्डिंग, सेक्टर 4 मार्केट वैशाली स्थित प्योर थेरेपी स्पा सेन्टर, ऑल स्पा सेन्टर व माउन्टेन स्पा सेन्टर में दबिश दी गई, तो प्योर थेरेपी स्पा सेन्टर में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में कुल 20 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मिलित 11 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3/4/5/6 अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण व पीड़िता महिलाओं से पुछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण द्वारा अनैतिक कमाई करने के लालच से रेस्क्यू महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार कराकर ग्राहकों से पैसे लिये जाते हैं। अभियुक्तगण द्वारा महिलाओं को काम दिलाने व पैसे का लालच देकर बहला फुसलाकर प्रतिदिन अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा था। इस कार्य को करने में ग्राहकों से भारी धनराशि लेकर कुछ रुपये महिलाओं को भरण पोषण हेतु दिया जाते थे।

बरामदगी का विवरण:-

आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 881 ग्राम अवैध गांजा एवं गांजा बिक्री के 2420/- रुपये बरामद ।

दिनांक 19.10.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त अमन पुत्र शकील निवासी विक्रम एन्क्लेव थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को तिकोना पार्क के पास शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 881 ग्राम अवैध गांजा एवं गांजा बिक्री के 2420/- रुपये बरामद हुए । उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं दिल्ली से चोरी छिपे गांजा खरीद कर लाता हूँ तथा गाजियाबाद व सीमापुरी दिल्ली के आस पास के क्षेत्रों में छोटी छोटी पुडिया बनाकर राह चलते लोगों को बेच देता हूँ । यह रुपये जो मुझसे बरामद हुए हैं यह गांजा बिक्री के ही हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमन पुत्र शकील निवासी विक्रम एन्क्लेव थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

कुल 881 ग्राम अवैध गांजा एवं गांजा बिक्री के 2420/- रुपये बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान चरस की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 10 ग्राम अवैध चरस(अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपये) व चोरी की स्कूटी बरामद ।

आज दिनांक 20.10.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान चरस की तस्करी करने वाला अभियुक्त मदन उर्फ बच्ची पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को खडखडी मोड़ थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 1.010 किलोग्राम अवैध चरस व चोरी की स्कूटी बरामद हुयी। स्कूटी के सम्बन्ध में थाना गाजीपुर दिल्ली में चोरी का अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त से बरामद अवैध चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा- 317(2) बीएनएस व 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मुझसे जो स्कूटी बरामद हुई है, वह मैंने करीब 15-20 दिन पहले गाजीपुर, दिल्ली से चोरी की है। मैं दिल्ली से चोरी-छिपे चरस लेकर आता हूँ तथा चरस की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर महंगे दामों पर बेच देता हूँ तथा जो रुपये मिलते हैं, उससे अपने शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मदन उर्फ बच्ची पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त के कब्जे से कुल 01 किलो 10 ग्राम अवैध चरस (अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपये) व चोरी की स्कूटी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूर्व में थाना ट्रोनिका सिटी पर गैर इरादतन हत्या का 01 अभियोग व हत्या का 01 अभियोग, हत्या के प्रयास का 02 अभियोग, आर्म्स एक्ट का 02 अभियोग, गाजीपुर दिल्ली में स्कूटी चोरी का 01 अभियोग कुल (08 अभियोग) पंजीकृत है, अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा रंगदारी के अभियोग में प्रकाश में आया अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 09.10.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के मोबाइल फोन पर कॉल कर रंगदारी मांगना व धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 351(3)/308(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । उपरोक्त अभियोग में साक्ष्य के आधार पर धारा- 318(4)/ 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । तत्पश्चात दिनांक 17.10.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों 1.नबाबूद्दीन पुत्र जमशेद निवासी शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद 2.जावेद पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी कान्तीनगर थाना कृष्णानगर पूर्वी दिल्ली को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

आज दिनांक 20.10.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त फरहान पुत्र नईम निवासी मौजपुर थाना मौजपुर दिल्ली पूर्वी, उम्र करीब 22 वर्ष को मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त फरहान ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं सीलमपुर दिल्ली में कैनोपी लगाकर सिम बेचने का काम करता हूँ, अभियुक्त जावेद को लगभग 05 महीने से जानता हूँ जिसको मैंने करीब 7-8 सिम दूसरे व्यक्ति की आईडी पर एक्टिवेट करके दिए थे, जावेद व आसिफ मुझसे सिम लेकर गये थे व वह मुझसे सिम के बदले अच्छा पैसा देने की बात कह कर गये थे उन्ही सिम नंबर से इनके द्वारा रंगदारी की माँग की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरहान पुत्र नईम निवासी मौजपुर थाना मौजपुर दिल्ली पूर्वी, उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम ।

